



2026:AHC:55535

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 32/2026

अजीम @ बाबा

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

संजय कुमार दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश तिवारी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3. यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक अजीम उर्फ बाबा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 379/2025, धारा 109(1), 115(2), 191(2), 131, 61(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन हाथरस गेट, जिला हाथरस के तहत जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. संक्षेप में, एफ0आई0आर0 में लगाए गए आरोप के अनुसार, तीन आरोपियों ने 5-6 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के बेटे को किसी कठोर और कुंद वस्तु से चोट पहुंचाई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी-आवेदक ने एफ0आई0आर0 में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 27.11.2025 से जेल में बंद है। यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक का नाम एफ0आई0आर0 में नहीं है, लेकिन सह-आरोपी शौर्य भारद्वाज के इकबालिया बयान के आधार पर जांच के दौरान बहुत देर से उसका नाम सामने आया। हालांकि, एफ0आई0आर0 या घायल के बयान में घायल को चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। यह भी निवेदन किया जाता है कि घायल ने बी0एन0एस0एस0 की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में सभी आरोपियों को एक समान भूमिका सौंपी है। यह तर्क दिया गया है कि एफ0आई0आर0 में नामित सह-आरोपी शौर्य भारद्वाज को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को आपराधिक विविध मामले में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आवेदन संख्या 43795/2025। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का एक आपराधिक मामला दर्ज है, जिसका विवरण आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामे के पैरा 7 में दिया गया है। निवेदन है कि मुकदमे की सुनवाई में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यह निवेदन किया जाता है कि

*अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

7. उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि आवेदक का नाम एफ0आई0आर0 में नहीं है, बल्कि उसका नाम जांच के दौरान सह-आरोपी शौर्य भारद्वाज के इकबालिया बयान के आधार पर बहुत देर से सामने आया, लेकिन एफ0आई0आर0 या घायल के बयान में घायल को चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, घायल ने बी0एन0एस0एस0 की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में सभी आरोपियों को एक समान भूमिका सौंपी है, एफ0आई0आर0 में नामित सह-आरोपी शौर्य भारद्वाज को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, वह मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए 27.11.2025 से जेल में बंद है; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के *मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एस0सी0) लॉ सूट 677* मामले में पैराग्राफ संख्या 53, *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के0ए0 नजीब (2021) 3 एससीसी 713* और *सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस0सी0सी0 51* में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।

*अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना, जिसमें वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करे।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अवर न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

18 मार्च, 2026

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"